दस रुपये TEN RUPEES दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2014 निगरानी R 3747 III/14

रामचरन पुत्र नथुआ जाटव निवासी ग्राम नारोनी तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

——— आवेदक

बनाम

बलबंत सिंह पुत्र तोफान सिंह यादव निवासी ग्राम नारोनी तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. पिछोर जिला शिवपुरी के प्र.क. 142/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2014 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम नारोनी तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्र. 161/2 रकवा 1.00 है. के संबंध में तहसीलदार खनियाधाना के संबंध में बंटन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क्रं. 17/99–00/अ–19 पर दर्ज किया जाकर विधिवत प्रकाशन किया गया आपत्तियां आहुत की गई, समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त कर विधिवत नियमो का पालन करते हुये आवेदक के हित में आदेश दिनांक 28.02.2000 से भूमि बटंन के आदेश पारित किये गये।

1. यह कि, अनावेदक द्वारा उक्त भूमि पर बल पूर्वक कब्जा कर निर्माण कार्य करने लगा इस संबंध में आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र तहसील न्यायालय खनियाधाना के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण कार्य कर प्रारभं कर दिया गया है। इस कारण अवैध निर्माण कार्य को रोका जाना एवं अवैध कब्जें के संबध में संहिता की धार 129 के अधीन कब्जा छोडे जाने के संबंध में कार्यवाही संचालित की गई एवं इर बुरा मान कर अनावेदक द्वारा आवेदक के पट्टे को लगभग 12 वर्ष बाद अपील अनु.वि.अधि. पिछोर के समक्ष प्रस्तुत की गई उक्त अपील के साथ अवधि विधान क धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र में दिनांक 15.07.201 को आवेदक के मौके पर झगड़ा करने पहुचे तब जानकारी प्राप्त होना बता क धारा 5 के आवेदन पत्र पर प्रथक से कोई आदेश पारित नहीं किया तथा आवेद के हित में हरिजन भूमि हीन को शासन निर्देशों के अनुसार भूमि बंटन आदे

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3747-तीन/14 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य __आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर__	